

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

SDO

मुकाम

वगीहा (SD)

किस्म मुकद्दमा

BB RTA

नं.

93/18

सन्

मोहन लाल बनाम

मोहन लाल vs  
अमर सिंह वगै

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6/6/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>वगीहा (SD)</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का याद पत्र अन्तर्गत धारा <u>88</u> आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया कि <u>मौजा लक्ष्मीपुरा की आ.नं. 583 खण्ड 1-90</u> हेक्टर अग्नि में वादकाण व प्रतिवादी के संयुक्त खातेदार के नाम हैं। जिसमें वादकाण का 1/4 व प्रतिवादी का 3/4 हिस्सा दर्ज है। जबकि ऊंचे पट्टे के अगुणा का 1/4 व प्रतिवादी का 3/4 हिस्से पर काबीज हो इसी अगुणा को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>मौजा लक्ष्मीपुरा की आ.नं. 583 खण्ड 1-90 हेक्टर</u> पर संयुक्त खातेदारी में <u>मादे व कट्टे</u> कारण अगुणा वादकाण का 1/4 व प्रतिवादी का 3/4 हिस्से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने हैं।</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उप लख अधिकारी  
बडीसादड़ी (संवर्त 18/6/18)

